

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
 (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय)
 'सामान्य प्रशासन शाखा'

संख्या: 16-63/2001-हि० प्र० वि० वि० (सामान्य)

दिनांक: 19 JUN 2018

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अधिसूचना सम संख्या दिनांक 22.09.2016 के नैरन्तर्य में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में अनुपयोगी सामग्री के नियमानुसार तत्काल निपटारे हेतु निम्न सदस्यों की समिति गठित की जाती है:-

1. क्रय भण्डार अधिकारी, हि.प्र.वि.	अध्यक्ष
2. सहायक कुलसचिव(लेखा), हि.प्र.वि.	सदस्य
3. सहायक वास्तुकार, हि.प्र.वि.	सदस्य
4. सुरक्षा अधिकारी, हि.प्र.वि.	सदस्य
5. सहायक अभियन्ता (रखरखाव) हि.प्र.वि.	सदस्य
6. अनुभाग अधिकारी(क्रय भण्डार शाखा), हि.प्र.वि.	सदस्य सचिव


कुलपति महोदय के निर्देशानुसार सभी विभागाध्यक्षों/अधिकारियों से निवेदन है कि वे अपने विभाग/कार्यालयों की अनुपयोगी सामग्री की तीन सूचियां तत्काल तैयार कर एक सूची भण्डार क्रय कार्यालय, दूसरी सूची अधोहस्ताक्षरी तथा तीसरी सूची अपने कार्यालय/विभाग में सुरक्षित रखें।


 (के. के. शर्मा) हि.प्र.से.
 कुलसचिव

पृष्ठांकन: सम संख्या।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सभी उपरोक्त सदस्य।
2. अधिष्ठाता अध्ययन/छात्र कल्याण/मुख्य छात्रपाल, हि०प्र०वि०वि०, शिमला
3. अधिष्ठाता समस्त संकाय/अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष/निदेशक, हि०प्र०वि०वि०, शिमला।
4. निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र/शारीरिक शिक्षा, हि०प्र०वि०वि०, शिमला।
5. निदेशक, हि०प्र०वि०वि० क्षेत्रिय केन्द्र, धर्मशाला।
6. प्राचार्य, हि.प्र.विश्वविद्यालय सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, शिमला।
7. प्रभारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शिमला-5
8. समस्त सांविधिक अधिकारी/ शाखा अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, हि०प्र०वि०वि०, शिमला।
9. वेब प्रशासक(*Web Administrator*), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5 को इस आश्य के साथ प्रेषित है कि वे उपरोक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव(कुलपति)/निजी सचिव, कुलसचिव, हि० प्र० वि० वि०, शिमला।
11. रक्षक मिसिल।


 कुलसचिव